क्रम सं.

1 पत्रावली पेश हुई प्रतिवादी उपस्थित।

2 वादपत्र प्रस्तुत अग्रिम नहीं, जिसके उन्हें लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, लिखित उत्तर 3 दिन की और अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 8.1.2020 को पेश हो।

3 8/1/20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने/अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त होने/अधिवक्ता की प्रार्थना से पत्रावली अग्रिम स्थगित हेतु अग्रिम अवसर दिनांक 23/1/20 को पेश हो।

4 दायर अग्रिम जवाब हेतु

5

23/1/20 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित है प्रतिवादी 3 व 4 की ओर से जवाब एवं प्रतिवादी 4 की ओर की ओर से काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया पत्रावली वास्ते काउन्टर क्लेम का जवाब की दिनांक 28/1/20 को पेश हो।

28.1.2020 पत्रावली पेश हुई. उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित कथन सुने गये. प्रकरण में विवादित आराजीयात प्रार्थी व विपक्षी भी सह खातेदारी भूमि है, मूल प्रकरण धारा 188 RTA के तहत विचाराधीन है, उक्त प्रार्थना पत्र धारा 188 के साथ विचारणीय नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रकरण नं. 2017/00155

28.1.2020

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.28 17:52:37 IST
Reason: SelfAttested